कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सुकमा(छत्तीसगढ़)

// आदेश //

क्रमांक / 1093 / स्टेनो / 2021 / सुकमा, दिनांक 16 / 05 / 2021

कोविड–19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 1050 / स्टेनो / 2021 / सुकमा, दिनांक 05.05.2021 के माध्यम से सुकमा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला सुकमा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

सुकमा जिले में अधिरोपित प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आकलन करने के पश्चात् कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु संपूर्ण सुकमा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 1050 / स्टेनो / 2021 / सुकमा, दिनांक 05.05. 2021को अधिक्रमित करते हुए मैं विनीत नंदनवार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सुकमा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ:–

1. सुकमा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 01 / 06 / 2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा । उपरोक्त दर्शित अवधि में सुकमा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेंगी।

2. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें एवं पशु–चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। **होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा ।**

3. शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य अधिकारी, सुकमा द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

4. केवल **फल, सब्जी, एकल किराना दुकान/ग्रॉसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डा, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स एवं डेली नीड्स** की दुकानों को प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अवधि में **मॉल/मार्ट/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स** पूर्ववत् की तरह बंद रहेंगे। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नही होने या भीड़–भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल, सब्जी, किराना सामग्री/ग्रॉसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डा, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स एवं डेली नीड्स की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। इस हेतु होम डिलीवरी का समय भी **प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे** तक नियत होगा। **उपरोक्तानुसार समस्त दुकानदारों/संचालकों एवं होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा ।**

किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़–भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ–साथ दुकान को 30 दिवस हेतु

सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

5. **परिवहनकर्ताओं को रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक स्थानीय गोदामों में सामान की लोडिंग–अनलोडिंग की अनुमति होगी।**

6. जिले की सीमा के भीतर स्थित समस्त आटा चक्कियों को प्रातः दुकान खुलने के निर्धारित समय से दोपहर 02.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।

7. जिला सुकमा अंतर्गत **नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त ढाबों** को केवल टेक–अवे (Take away) तथा जिला सुकमा अंतर्गत संचालित रेस्टोरेंट/होटलों को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से रात्रि 10.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर ढाबा/रेस्टोरेंट को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। **इस व्यवस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा ।**

8. जिला सुकमा अंतर्गत पंचर रिपेयर की दुकानों को निर्धारित समयावधि में फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करते हुये संचालन की अनुमति दी जाती है।

9. उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि उपकरण संबंधी दुकानों, उनसे संबंधित रिपेयर शॉप तथा कीटनाशक दवा/रासायनिक खाद विक्रेताओं को प्रातः दुकान खुलने के निर्धारित समय से दोपहर 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।

10. न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की अनुमति प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक एवं दुग्ध वितरण की अनुमति प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तथा संध्या 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक होगी।

11. इलेक्ट्रिशियन/पल्मबरों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से ए.सी., कूलर, नल आदि रिपेयर की अनुमति होगी। **ए.सी., कूलर, पंखा तथा उपरोक्तानुसार रिपेयर सामग्री को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से प्रातः 06 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी ।**

12. पेट्रोल पंपों को अपने निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी। एल.पी.जी.गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।

13. कोविड प्रोटोकॉल व श्रमिक सुरक्षा नियमों तथा निर्देशों के पालन किये जाने के शर्त पर सभी **शासकीय एवं निजी निर्माण** कार्यों की अनुमति होगी।

14. उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी किन्तु **ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी** की अनुमति रहेगी।

15. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, पार्क, आदि आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे एवं मार्निंग/इवनिंग वॉक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।

16. उपरोक्त अवधि के दौरान **वनोपज संग्रहण संबंधी समस्त गतिविधियां**, कोविड–19 प्रोटोकॉल अंतर्गत सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन के शर्त पर संचालित रहेंगे।

17. उपरोक्त अवधि में सुकमा जिला अंतर्गत टेलीकॉम, पोस्टल/कोरियर सेवाएं से जुड़े कार्यालय, रेक प्वाईंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहॉउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।

18. उपरोक्त अवधि के दौरान को–मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को **एक्टिव** ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस/बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ **समस्त प्रकार की गतिविधियों** की अनुमति होगी।

19. **लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर** अपने निर्धारित समयावधि में संचालित किये जा सकेंगे।

20. पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी ।

21. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में आयोजित करने तथा कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है । किन्तु उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

22. उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। **उप पंजीयक कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, जिसमें पंजीयन कार्य टोकन/ऑनलाईन सिस्टम से किया जावेगा ।**

23. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम 03, ऑटो में वाहन चालक सहित 03 एवं दो पहिया वाहनों में 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति, यात्रा संबंधी दस्तावेजों के साथ होगी । रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

24. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार जारी रहेंगे तथा इन कार्यों में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार चलते रहेगें।

25. अपरिहार्य परिस्थितियों में सुकमा जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा पोस्टल/टेलीकॉम, हॉस्पिटल या कोविड–19 डयूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा, तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जा सकेंगे।

26. कोविड–19 टीकाकरण, कोविड–19 जॉच, हेल्थ कार्ड पंजीयन हेतु मेडिकल दस्तावेज/आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र/अस्पताल/ निर्धारित स्थल तक आवागमन की अनुमति होगी।

27. मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक परिस्थिति में बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा।

28. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, **अनुविभागीय** अधिकारी (पुलिस), जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय,सी.आर.पी.एफ. कैम्प, पुलिस थाना/चौकी एवं कोविड–19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका/नगरपंचायत सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल आदि शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

29. कोरोना से बचाव के शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी ।

30. जिला सुकमा अंतर्गत सभी साप्ताहिक/प्रतिदिन लगने वाले हॉट बाजार इस अवधि में **पूर्णतः प्रतिबंधित** रहेंगे।

31. सुकमा जिला अंतर्गत उपरोक्त अवधि में **प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन** रहेगा। इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल –

पेट्रोल पंप,
अस्पताल,
स्वास्थ्यगत सुविधायें,
मेडिकल दुकानें,
पी.डी.एस.दुकानें
दुग्ध एवं न्यूज पेपर वितरण (उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 10 के समयानुसार)
एल.पी.जी.सिलेण्डर की घर पहुंच सुविधायें,
फल, सब्जियों की होम डिलीवरी (प्रातः 06 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक)

की अनुमति होगी ।

32. उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों का आकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक हो गया है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 17/05/2021 को प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।

Nandanwar

(विनीत नंदनवार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला सुकमा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 1093(ए) / स्टेनो / 2021

प्रतिलिपि :–

सुकमा,दिनांक 16 / 05 / 2021

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, सुकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला सुकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. नोडल अधिकारी, कोविड–19, जिला सुकमा।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सुकमा को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. सर्व तहसीलदार,/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला सुकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला सुकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सुकमा एवं नगर पंचायत, कोंटा एवं दोरनापाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ।

Nandanw

(विनीत नंदनवार)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला सुकमा (छ.ग.)